न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3099 /विधि सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपीलवाद सं0–45/2016 में दिनांक–16.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय भूमि विवाद वाद सं0–235/2013 से संबंधित अभिलेख कुल–180 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :–यथोपरि।

प्रतिलिपिः– श्री पप्पु कामत व संजय कामत दोनों पिता–स्व0 लक्ष्मी कामत / सुगन पासवान, पिता–स्व0 दुखा पासवान सभी सा0–बाड़ा भरना, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १७-फ़ारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
16/10/2023		

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या-45/2016

पप्पु कामत एवं अन्य ..... अपीलकर्त्ता

-बनाम-

सुगन पासवान एवं अन्य व राज्य ..... रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद पप्पु कामत, पिता स्व0 लक्ष्मी कामत व संजय कामत, पिता स्व0 लक्ष्मी कामत, दोनों सा0-बाड़ा भरना, थाना-बिहरा, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सहरसा के भूमि विवाद वाद संख्या-235/2013 सुगन पासवान बनाम पप्पु कामत वगैरह में दिनांक-02.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध सुगन पासवान पिता-स्व0 दुखा पासवान, सा0-बाड़ा भरना, थाना-बिहरा को विपक्षी बनाते हुए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा / थाना न0	खाता	खेसरा	रकवा	अभ्युक्ति
बाड़ा भरना / 151	504	1635	34 डी0	चौहद्दी पूरब - रमेश साह प0 - राजेन्द्र साह उ0 - सड़क द0 - महेन्द्र साह
	159	810	18 डी0	

अपीलार्थी का मूल रूप से कहना है कि विपक्षी संख्या-01 सुगन पासवान के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में वाद संख्या-235/2013 प्रश्नगत भूमि पर दखल-कब्जा एवं नापी हेतु दायर किया गया, जिसमें विपक्षी के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि लैण्ड सीलिंग वाद संख्या-01/1976-77 से पर्चा के आधार पर उन्हें प्राप्त है, जिसका लगान रसीद भी उन्हें प्राप्त है। उक्त भूमि के रकवा 0-5-0 कट्ठा (पाँच कट्ठा) से उन्हें

अपीलार्थी के द्वारा उक्त वाद में हाजिर होकर लिखित जबाव दाखिल करते हुए बताया गया कि पर्चा गैर कानूनी है। खेसरा संख्या-810 तथा 1635 एक ही जगह अवस्थित नहीं है तथा विपक्षी के पास उक्त भूमि का पर्चा नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि मौजा-बाड़ा स्थित खाता सं0-504, खेसरा सं0-1635, रकवा-15 कट्ठा तारणी देवी पति-दिनेश मिश्रा की भूमि थी, जिसमे से 0-7-7 धूर (सात कट्ठा सात धूर) भूमि उनके द्वारा निबंधित दस्तावेज दिनांक 22.07.1987 से अपीलार्थी को बेच दिया, जिसपर अपीलार्थी दखलकार हुए। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का आवासीय मकान आदि अवस्थित है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय में यह भी बताया गया कि खेसरा संख्या- 810 तथा 1635 एक ही जगह स्थित नहीं है इसलिए विपक्षी (उक्त वाद मे अपीलार्थी) के द्वारा दी गई चौहद्दी बिल्कुल गलत है। उनके द्वारा क्रय की गई 0-7-7 धूर (सात कट्ठा सात धूर) भूमि की चौहद्दी उत्तर-सड़क, दक्षिण-बिहारी कामत, पूरब-बिनोवा पथ, पश्चिम-गणेश कामत है तथा खेसरा-1635 की शेष भूमि अपीलार्थी की भूमि के उत्तर अवस्थित है। विपक्षी (निम्न न्यायालय में अपीलार्थी) के द्वारा उक्त भूमि पर दावा करना गलत है। अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में सम्पूर्ण कागजात दाखिल किया गया, जिसके साथ अंचल अमीन का प्रतिवेदन भी संलग्न था। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार खेसरा सं0-1635 से नया खेसरा-2486 तथा 2437 बना, जो अपीलार्थी के दखल कब्जा में है तथा पूरब से उत्तर की शेष भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा है। अपीलार्थी का कहना है कि पुराना खेसरा-1635 का कुल रकवा-15 कट्ठा है, जिसमें से 7 कट्ठा 7 धूर पर उनका तथा शेष भूमि पर विपक्षी का दखल-कब्जा है। उक्त खेसरा से कुछ भूमि बिनोवा पथ में भी अधिग्रहित की गई है। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी (उक्त वाद के विपक्षी) के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा क्रय की गई भूमि पर विपक्षी (निम्न न्यायालय में आवेदक) का दावा गैरकानूनी है। साथ ही न तो उनके द्वारा कोई पर्चा दाखिल किया गया और न ही उनका दखल कब्जा है। अपीलार्थी के अनुसार पुराना खेसरा 1635 का रकवा 0-15-0 कट्ठा (पन्द्रह कट्ठा) है, जिसकी जाँच अंचल अमीन के द्वारा की गई है तथा बताया गया कि उक्त खेसरा से 4 (चार) नया खेसरा बना यथा-खेसरा

(नया)–2436 रकवा 0–4–1 धूर, 2437 रकवा 0–3–6 धूर , 2274 रकवा 0–3–16–10 धूरकी तथा बिनोवा पथ का खेसरा। खेसरा सं0–2436 तथा 2274 के बीच बिनोवा पथ अवस्थित है। अपीलार्थी का कहना है कि उनके पिता के द्वारा बिनोवा पथ के दक्षिण खेसरा सं0–2436 एवं 2437 क्रय किया गया, जिसपर उनका दखल–कब्जा है। उक्त भूमि पर कभी सिलिंग वाद नहीं चला, किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया। उक्त के आलोक में अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय के गैर कानूनी आदेश को खंडित करते हुए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया :–

1.केवाला की छायाप्रति नाविस्ते तारणी देवी बहक के बनाम लक्ष्मी कामत दिनांक 22.04.1987.

2.नकल बजाप्ता हाल सर्वे खतियान साबिक खाता–504 नया खाता–2723 नामे मसोमात रासरानी देवी वो तारिणी देवी की छायाप्रति।

3.मालगुजारी रसीद जमाबंदी सं0–2631, खाता पुराना–504, खेसरा (पुराना) 1635 नया 2436 वो 2437 रकवा 0–7–7 नामे लक्ष्मी कामत की छायाप्रति।

4.कम्प्यूटरीकृत लगान रसीद खाता–504, खेसरा–1635 जमाबंदी–2631 नामे लक्ष्मी कामत वर्ष–2022–23 से 2023–24

5.कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी पंजी नामे लक्ष्मी कामत।

विपक्षी सं0–01 की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा जबाव दाखिल करते हुए बताया गया कि प्रश्नगत भूमि उन्हें बिहार सरकार द्वारा भू–हदबन्दी पर्चा संख्या– 01/1976–77 से प्राप्त है। उक्त भूमि पर वे घर बनाकर परिवार के साथ रहते आ रहें है तथा खेसरा–1635 के कुछ अंश पर खेती करते आ रहे हैं। अपीलार्थी के द्वारा उनके औपबंधिक परबाना से प्राप्त खेसरा–1635 पर दिनांक–22.07.1987 के फर्जी केवाला नविस्ते श्रीमती तारणी देवी, पति दिनेश मिश्र बहक लक्ष्मी कामत, रकवा 0–7–7 क्रय करने के बाद वर्ष 2013 में विवाद किया गया तथा जबरदस्ती गाय–माल रखने लगे। तत्पश्चात् उनके द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 एवं नियमावली, 2010 के अन्तर्गत बन्दोवस्तधारी के रूप संरक्षण हेतु

वाद दायर किया गया, जिसमें निम्न न्यायालय के द्वारा उनके पक्ष में दखल-कब्जा दिलाने हेतु पारित आदेश सही है तथा उसे सम्पुष्ट करने तथा दखल दिलाने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया :-

1.अंचल कार्यालय पत्रांक-421-2 दिनांक 04.06.2013 को निर्गत नोटिस की छायाप्रति।

2.मालगुजारी रसीद, जमाबंदी सं0-12, वर्ष 2015-16, 2014-15, 2012-13, 2010-11, 2005-06, 1992-93 की छायाप्रति।

8.कम्प्यूटरीकृत लगान रसीद, जमाबंदी नं0-12, वर्ष 2020-21 की छायाप्रति।

4.भू-हदबन्दी पर्चा की छायाप्रति।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि विपक्षी को प्रश्नगत भूमि भू-हदबन्दी के तहत वितरित पर्चा से प्राप्त है। तदालोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस अपीलवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

16/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

16/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।